TOPIC- Constitutional Provision for Education, SC-102, SEM-II

Social Equity
सामाजिक समदृष्टि : शिक्षा एवं सामाजिक न्याय

Date-25-06-21

प्रत्येक राष्ट्र का यह नैतिक दायित्व है कि वह बिना किसी भेदभाव के अपने नागरिकों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करें। लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए तो यह और भी अनिवार्य हो जाता है। ~~वैसे भी राष्ट्र के लिए तो यह और भी अनिवार्य हो जाता है।~~ वैसे भी विश्व के सभी राष्ट्रों में आज शिक्षा के प्रति अपूर्व जन जागृति उत्पन्न हो चली है। अब शिक्षा के व्यय को कृषि उद्योगों के व्ययों के समकक्ष व माना जाता है। यही धारणा अविकसित राष्ट्रों में जनक्रान्ति का स्रोत बन गई है।

संवैधानिक अधिकार में नागरिकों के एकसमान अधिकारों एवं कर्तव्यों की विशद व्याख्या की गई है। संविधान की धारा 29 (2) के अन्तर्गत यही स्पष्ट किया गया है कि "राज्य द्वारा पोषित या राज्य नीति से सहायता प्राप्त करने या किसी शिक्षा संस्था में, किसी नागरिक को धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा या उनमें से किसी एक आधार पर प्रवेश देने से नहीं ~~रोका~~ जायेगा।" राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना भारतीय संविधान में दिए गए मूलभूत सिद्धान्तों से अनुप्राणित है। इन्हीं सिद्धांतों पर लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता तथा समाजवाद की जड़ों को मजबूत किया जा सकता है। शिक्षा आयोग (1964-66) के अनुसार - "जो भी समाज सामाजिक न्याय को अत्यन्त आदर्श मानता है। जन साधारण की हालत सुधारने तथा समस्त शिक्षा पाने योग्य व्यक्तियों को शिक्षित करने को उत्सुक है, उसे यह व्यवस्था करनी ही होगी कि जनता के सभी वर्गों को अवसर की अधिकाधिक समता प्राप्त होती जाये। एक समतामूलक तथा मानवतामूलक समाज जिसमें निर्बल का शोषण कम से कम हो, बनाने का यही एक सुनिश्चित साधन है।"

इसी दिशाबोध से नवीन शिक्षा नीति भी अभिप्रेरित है। "नई शिक्षा नीति विषमताओं को दूर करने पर विशेष बल देगी और अब तक वंचित ~~वर्ग~~ रहे लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के समान अवसर मुहैया करेगी।

विश्व मानवीय अधिकार :-

यू० एन० ओ० (United Nations organization) तथा उसकी प्रमुख सहयोगी शाखा यूनेस्को (Unesco) (United Nations Educational, Scientific & Cultural organization)

FOPSE- Constitutional Provision for Education 25.06.21
SEM-1, SC-102

को इस दिशा में महान् कार्य करने का श्रेय अन्तर्राष्ट्रीय विश्व संगठनों को जाता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व मानवीय अधिकारों के अन्तर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों में समान अवसरों की अवधारणा को स्वीकार किया है।

1. नागरिक अधिकार (CIVIL Rights) :- मानवीय अधिकारों की घोषणा में विश्व में प्रत्येक नागरिक को निम्नलिखित अधिकार प्रदान किए गए हैं।

1- सभी प्राणी जन्म से स्वतन्त्र हैं तथा वे आत्मसम्मान एवं अधिकारों के सन्दर्भ में एक समान हैं। 1.जन्म

2.- प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है। साथ ही स्वतन्त्रता एवं सुरक्षा का भी हकदार है। 2 जीव

3 स्वतन्त्र जीवन

3. किसी भी व्यक्ति को नौकर या गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता तथा गुलामी प्रत्येक दृष्टिकोण से निन्दनीय है। अतः उसे तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाये।

दण्ड का विरोध

4. किसी भी व्यक्ति को यातनापूर्ण, बर्बर दण्ड प्रदान नहीं किया जा सकता।

5. सभी व्यक्ति कानून के समक्ष एक समान हैं तथा उनको कानून का समान रुप से संरक्षण प्रदान करना चाहिए।

न्यायालय में स्वतन्त्र

6. किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से कैद, बन्दी तथा निर्वासित नहीं किया जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति अपने ऊपर लगे आपराधिक दोषों के लिए न्यायालय की शरण लेने के लिए स्वतन्त्र है।

कहीं भी निवास का अधिकार

7. प्रत्येक व्यक्ति अपने राष्ट्र की सीमा में कहीं भी स्थायी रुप से निवास करने के लिए स्वतन्त्र है।

देश छोड़ने या लौटने का अधिकार

8. प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश को छोड़ने का तथा पुनः वापिस लौटने का अधिकार प्राप्त है।

वै. धा. आत्मिक स्वतन्त्रता

9- प्रत्येक व्यक्ति को वैचारिक स्वतन्त्रता, आत्मिक निर्णय की स्वतन्त्रता तथा धार्मिक स्वतन्त्रता प्राप्त है।

मत प्रदान करने का

10. प्रत्येक व्यक्ति को स्वतन्त्र अभिव्यक्ति एवं मत प्रदान करने का अधिकार है।

11. प्रत्येक व्यक्ति को शान्तियुक्त तरीके से एकत्रित होने का अधिकार है, किन्तु किसी भी व्यक्ति को उस समूह / दल में बलपूर्वक सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। शान्तियुक्त एकत्र होने का अधिकार